यात्री की बिगड़ी तबीयत, विमान वापस

01 घंटे बाद रवाना हुआ विमान

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 27 अप्रैल. दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया के विमान में सोमवार को एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. विमान को तुरंत वापस पार्किंग स्टैंड पर लाया गया. मामला राजा भोज एयरपोर्ट का है.

उड़ान भरने जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 1886 ने जैसे ही पुशबैक शुरू किया तभी एक यात्री ने अचानक बेचैनी और अस्वस्थता की शिकायत की. स्थिति को गंभीर मानते हुए पायलट ने बिना देर किए विमान को वापस टर्मिनल की ओर मोड़ दिया.

विमान के वापस आते ही एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल टीम सक्रिय हो गई. यात्री को तुरंत उतारकर मेडिकल जांच कक्ष में ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की. चिकित्सकों ने बताया कि यात्री के सभी महत्वपूर्ण संकेत सामान्य थे. लेकिन अचानक हुई बेचैनी के कारण उसे निगरानी में रखा गया. जांच के बाद यात्री को यात्रा के लिए फिट बताया गया. लेकिन उसने ऐहतियात के तौर पर अपनी यात्रा रद्द करने का फैसला लिया.

> इसके बाद एयरलाइन ने यात्री को उतारा और उसका सामान भी विमान से बाहर निकाला गया. इस पूरी प्रक्रिया के कारण उड़ान में एक घंटे से अधिक की देरी हुई. जिसके बाद सभी जरूरी जांच और सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद विमान सुबह 9 बजकर 46 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुआ. इस संबंध में एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीम हर समय तैयार रहती है.

तराई करते समय निर्माणाधीन भवन से गिरी महिला की मौत

भोपाल. रानी कमलापति स्टेशन के पास निर्माणाधीन भवन में दीवारों की तराई कर रही एक महिला मजदूर की गिर जाने से मौत हो गई. गिरकर एक महिला की मौत हो गई. मृतका का नाम 73 वर्षीय ईश्वरिया रिवार उर्फ तारा बाई है. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. बताया जाता है कि तराई करते समय उनका पैर फिसल गया और वे नीचे गिर गईं. घटना रविवार की है. जीआरपी के थाना प्रभारी एमएस सोमवंशी ने बताया कि मामले की जांच जारी है.

14 वर्षीय लड़की ने लगाई फांसी

कूलर के सामने सोने की कर रही थी जिद

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 27 अप्रैल. कूलर के सामने सोने की जिद में भाई से बहस कर 14 वर्षीय लड़की ने फांसी लगा ली.

घटना राजधानी के चूनाभट्टी इलाके की है. पुलिस के मुताबिक खुदखुशी करने वाली लड़की की उम्र 14 साल थी. कोलार कॉलोनी, चूनाभट्टी में लड़की अपनी मां और भाई के साथ रहती थी. वह कक्षा नौवीं की छात्रा थी. मृतका के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उसकी मां घरों में काम कर परिवार का भरण-पोषण करती हैं. गर्मी के कारण कूलर के सामने सोने को लेकर बहस के बाद भाई बाल कटवाने के लिए घर से बाहर चला गया. कुछ देर बाद जब वापस लौटा, तो बहन को फांसी के फंदे पर झूलता पाया. मौके पर परिजनों ने उसे तत्काल फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया. लेकिन डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया.

शराब के नशे में युवक ने लगाई फांसी

भोपाल. शराब के नशे में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. मामला बजरिया थाना क्षेत्र के विजय नगर में रहने वाले एक युवक का है. घटना रविवार रात की. युवक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और घटना के समय घर में अकेला था. पुलिस के अनुसार युवक का नाम नीरज सिंह (36) था. पड़ोसियों ने बताया कि रविवार को उसकी पत्नी मायके गई थी. नीरज रात को नशे की हालत में घर लौटा और कमरे में चला गया. काफी देर तक जब कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों ने खिड़की से झांककर देखा. युवक फंदे पर लटका था. पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. बजरिया थाना पुलिस ने पहुंचकर शव को फंदे से उतारा. पोस्टमार्टम करवाकर परिजन को सौंप दिया है.

भजन-कीर्तन करते हुए संतों ने किया प्रदर्शन

गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग तेज

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 27 अप्रैल. गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर शहर में सोमवार को संतों और सामाजिक संगठनों मिलकर प्रदर्शन किया. संतों ने गुफा मंदिर से भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु सहित छोटे बछड़ों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगें रखी.

आस्था और परंपरा से जुड़े इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. रास्ते भर भजन कीर्तन और गौमाता के जयकारों से माहौल भक्तिमय रहा. वहीं कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर संतों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और गौ संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की. इस दौरान महंत रामप्रवेश दास के नेतृत्व में महंत कन्हैया दास, महंत लोकनाथ दास, महंत विमल दास त्यागी, चैतन्य दास और गोशर्णानंद महाराज सहित कई संत मौजूद रहे. सभी ने सामाजिक संगठनों की ओर से हरिप्रिया गौशाला के संस्थापक आशीष तिवारी हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी करणी सेना, महिला मोर्चा और अन्य संगठनों के साथ अपनी भागीदारी दी. दौरान संतों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौमाता का विशेष स्थान है और उनके सम्मान व संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है. उन्होंने प्रशासन से गौहत्या पर सख्ती से रोक लगाने और गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. तहसीलदार ने संतों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा.

भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का सद्बुद्धि यज्ञ

महिला कांग्रेस ने भाजपा पर महिलाओं पर आपत्तिजनक बयानों का आरोप लगाया

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 अप्रैल. महिला कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 'सद्बुद्धि यज्ञ' आयोजित कर भाजपा नेताओं पर महिलाओं के अपमान और आपत्तिजनक बयानों का आरोप लगाया.

कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह ने किया. दीप्ति सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में महिलाओं का सम्मान लगातार कमजोर हो रहा है. उन्होंने जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई कथित टिप्पणी को निंदनीय बताया.

> भाजपा नेता इंदर सिंह पर एक महिला जनपद सीईओ को धमकी देने के आरोपों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की मानसिकता महिलाओं के प्रति असम्मानजनक है और सरकार का मौन रहना इस पर अप्रत्यक्ष सहमति दर्शाता है. महिला कांग्रेस ने इस दौरान 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग दोहराई और कहा कि केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है.

वार्ड -21 में 60 लाख की लागत से बनेगी सड़क

भोपाल, 27 अप्रैल. सांसद आलोक शर्मा व महापौर मालती राय ने सोमवार को वार्ड क्रमांक 21 के चौकी इमामवाड़ा क्षेत्र में 60 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सीमेंट क्रांकीट सड़क एवं नाली निर्माण हेतु भूमिपूजन किया. इस अवसर पर रहवासियों ने सांसद और महापौर का पुष्पहारों से स्वागत किया एवं विकास कार्यों हेतु आमार माना. कार्यक्रम में महापौर परिषद के सदस्य मनोज राठौर, जोन अध्यक्ष विनीता सोनी, अभय पंडित, अजय पवार, संजय जैन मुगावली, गौरव गुप्ता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे.

प्रशासन ने तोड़े बड़ा तालाब किनारे बने अवैध मकान

भोपाल, 27 अप्रैल. बड़े तालाब के दायरे में आ रहे अतिक्रमणों को सोमवार को हटा दिया.

प्रशासन की टीम ने सूरजनगर गौरागांव क्षेत्र में अवैध रूप से बने 7 मकान, 3 अस्थायी छप्पर और 4 दुकानों के बाहर लगे शेड जेसीबी से तोड़ दिए. नगर निगम की टीम के साथ टीटी नगर एसडीएम वृत्त के अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. बड़े तालाब किनारे 347 कब्जों को हटाया जाना है. इसके पहले पहले करीब 50 कब्जे ही हटाए गए थे, लेकिन बाद में कार्रवाई रोक दी गई थी. एसडीएम ऑफिस से कुछ दिन पहले लोगों अतिक्रमण हटाने को नोटिस दिए गए थे.

जनेऊ विवाद पर विद्यार्थी परिषद का विरोध तेज

कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के दौरान छात्रों को जनेऊ उतारने किया बाध्य

भोपाल, 27 अप्रैल. कर्नाटक के कृपानिधि कॉलेज में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के दौरान छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए बाध्य किए जाने के कथित मामले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध जताया है.

परिषद ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला गंभीर मामला बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. अभाविप ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान ज्ञान और सकारात्मक वातावरण के केंद्र होते हैं जहां किसी भी प्रकार की धार्मिक या राजनीतिक दुर्भावना का स्थान नहीं होना चाहिए.

परिषद के अनुसार इस तरह की घटनाएं न केवल छात्रों की आस्था को ठेस पहुंचाती हैं बल्कि शैक्षणिक माहौल को भी प्रभावित करती हैं. परिषद ने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं शैक्षणिक परिसरों को अनावश्यक विवादों में घसीटने का प्रयास हैं. अभाविप ने राज्य सरकार से मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ अनुशास नात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

> परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि छात्रों को उनके धार्मिक प्रतीकों से वंचित करने का प्रयास व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य समावेशी वातावरण तैयार करना है और ऐसी घटनाओं पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिए. परिषद ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है ताकि शैक्षणिक संस्थानों की गरिमा बनी रहे.

अभिनय कार्यशाला में सीन वर्क पर फोकस

भोपाल. द राइजिंग सोसायटी ऑफ़ आर्ट एंड कल्चर की अभिनय कार्यशाला में सोमवार को सीन वर्क पर खास सत्र रखा गया. इसमें कलाकारों को सिखाया गया कि किसी भी सीन को सही तरीके से कैसे समझें और निभाएं. प्रतिभागियों ने अभ्यास के जरिए अभिनय की बारीकियां सीखीं. उन्हें बताया गया कि सीन शुरू होने से पहले क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, यह समझना बहुत जरूरी है. साथ ही अपने किरदार की पूरी कहानी, उसकी सोच और दूसरे किरदारों से उसके रिश्ते को समझने पर जोर दिया गया.

साइबर ठगी से बचने का दिया संदेश

जन जागरूकता शिविर का आयोजन

भोपाल, 27 अप्रैल. नवजीवन पाथ फाउंडेशन द्वारा सोमवार को परवलिया गांव में जन जागरूकता शिविर लगाया गया. इस शिविर न केवल कानूनी जानकारी दी गई, बल्कि नाटक के माध्यम से सामाजिक और साइबर अपराध से बचने का संदेश दिया.

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनीत अग्रवाल मुख्य अतिथि थे. नवजीवन पाथ फाउंडेशन की निदेशक एडवोकेट मीनाक्षी नारनवरे, हाई कोर्ट एडवोकेट जितेंद्र द्विवेदी, गवर्मेंट काउंसलर्स नूरुन्निसा खान और शैल अवस्थी, सरपंच आदि उपस्थित थे. शिविर का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा प्रस्तुत एक विशेष नाटक रहा. बच्चों ने इस नाटक के माध्यम से वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराध के खतरो को बताया और सावधानी बरतने का संदेश दिया.

> मुख्य अतिथि सुनीत अग्रवाल कहा कि डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा की जानकारी होना अनिवार्य है. एडवोकेट मीनाक्षी नारनवरे ने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता के जरिए समाज को सशक्त बनाना है.

लोको पायलट की चयन प्रकिया कटघरे में

पमरे जीएम से मांगा जवाब

जबलपुर, 27 अप्रैल. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक याचिका दायर कर पश्चिम मध्य रेल में असिस्टेंट लोको पायलट की चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है.

कैट के न्यायिक सदस्य जस्टिस एके श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक सदस्य मल्लिका आर्य की युगलपीठ ने महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे, अध्यक्ष रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, पश्चिम मध्य रेल जबलपुर एवं प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पश्चिम रेलवे मुम्बई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कैट ने अंतरिम आदेश के तहत याचिका के अंतिम निराकरण तक एक पद रिक्त रखने के निर्देश दिए.

यूपी के बृजमोहन राणा की ओर से अधिवक्ता अंजना श्रीवास्तव ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड के विज्ञापन पर याचिकाकर्ता ने आवेदन दिया था. वह सभी परीक्षाओं में सफल रहा. चयन सूची में उसका रोल नंबर नहीं था.

नव भारत

Shri Prafulla Maheshwari Charitable Trust

FREE

SUMMER COMPUTER Course

Level up your skills.Learn with expert. Enroll now and unlock your potential!

Offered Course:

- Canva
- Suno Ai
- Ms-Copilot
- Google Doc
- Cluade Ai

Course Completion Certificate

MONDAY - SATURDAY

05.30 pm - 7.30 pm

Required Documents

- Marksheet
- Adhar Card
- Photo-1

Age Group 9-18

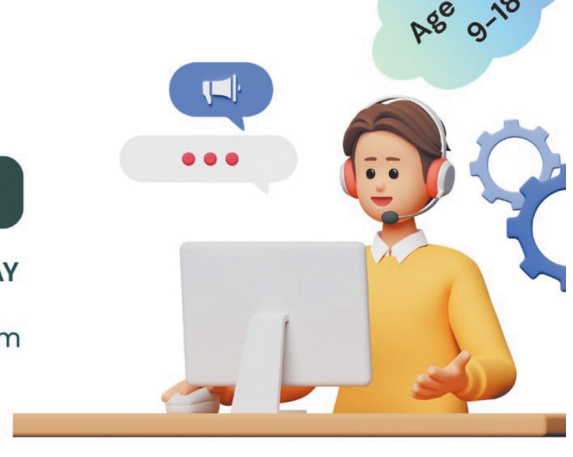

Duration: 2 Months
Batch Starts From 20th April 26

Add: 3 Indrapress Complex Ramgopal Maheswari Marg,zone-1 ,Mp Nagar,Bpl
Call: 7772991010

वायरल फर्जी पत्र कांग्रेस आईटी सेल के तीनों कार्यकर्ताओं को 29 तक हर हाल में पेश करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस को लगाई फटकार

जबलपुर, 27 अप्रैल. मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने पूर्व निर्देश के बावजूद मप्र कांग्रेस आइटी सेल के तीनों कार्यकर्ताओं को पेश न किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया.इसी के साथ राजस्थान पुलिस को जमकर फटकार लगाई.

हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि 29 अप्रैल को हर हाल में तीनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए. न्यायालय ने पुलिस की ओर से दिए गए मिस कम्युनिकेशन के तर्क को दरकिनार कर दिया. इसके साथ ही राजस्थान पुलिस को आदेश का पालन करने दो दिन की मोहलत दी. साथ ही गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज व सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत करने निर्देश दिया है. मामला राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल फर्जी पत्र से संबंधित है. इसी सिलसिले में मप्र कांग्रेस आइटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था.

भोपाल निवासी खिजर खान सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता एचएस छाबड़ा ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि 20 अप्रैल की सुबह लगभग तीन बजे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भोपाल में पुलिस द्वारा कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं निखिल, बिलाल व इनाम को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और उन्हें दो दिनों तक किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है. राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि राजस्थान पुलिस की मौखिक सूचना पर तीनों को पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ की गई और फिर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया. अगले दिन दोपहर को फिर साइबर सेल बुलाया और राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया.

> न्यायालय को बताया गया कि हिरासत या उनकी गिरफ्तारी का कोई रिकॉर्ड या उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंपने से संबंधित कोई दस्तावेज उन्हें नहीं भेजा गया है. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि पुलिस का पूरा बयान झूठा और मनगढ़ंत है. उन्होंने कहा कि आरोपियों को 20 अप्रैल की तड़के हिरासत में लिया गया था और उन्हें किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया. यहां तक कि ट्रांसिट रिमांड के लिए भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया. सुनवाई के बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये.